

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276838
SG-DL-E-06102026-276838असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 225
No. 282]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948	[N. C. T. D. No. 225

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

फा. सं. 16(512)/श0वि0/डब्ल्यू / 2025 / 679.— दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 11/07/2016 की अधिसूचना फा0 सं0 16(512)/श0वि0/डब्ल्यू / 2015/1159-1160 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली जल बोर्ड में **ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-II** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए निम्नलिखित भर्ती विनियमनों को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इन विनियमनों को दिल्ली जल बोर्ड 'ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-II' भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाए।
- ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं** :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :— वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह का अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियमन के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **उपबंधों में छूट प्रदान करने की भाक्ति** :— जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :— इन विनियमनों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-II
2.	पदों की संख्या	:	79*(2026) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'ख'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं टीप 1: — केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय। टीप 2: — आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :— (क)(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तुकला अस्सिस्टेंटशिप में डिप्लोमा, तथा अथवा

		(2) सरकार (केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)/सांविधिक/स्वायत्त संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सूचीबद्ध निजी संगठन से ड्राइंग, मानचित्र, अनुमान तैयार करने और ऑटोकैड पर कार्य करने से संबंधित एक वर्ष का पद संबंधी योग्यता अनुभव। अथवा (ख)(1) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में डिप्लोमा उत्तीर्ण। (3) सरकार (केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)/सांविधिक/स्वायत्त संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सूचीबद्ध निजी संगठन से ड्राइंग, मानचित्र, अनुमान तैयार करने और ऑटोकैड पर कार्य करने से संबंधित दो वर्षों का पद संबंधी योग्यता अनुभव। टीप-1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि (यदि कोई है)	: सीधी भर्ती तथा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	1. 33प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 2. 67प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	: पदोन्नति:- ग्रेड में दस वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/-रुपये) में ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-III तथा उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान

		से संबंधित क्षेत्र में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्ण किया हो। टीप 1:— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं, वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि से न्यून न हो, आधे से अधिक हो या दो वर्ष, जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीप:— पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजनार्थ दिनांक 01.01.2016 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, को वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित विस्तारित सम्बद्ध वेतन/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। <u>प्रतिनियुक्ति:—</u> केन्द्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के अधीन अधिकारी:— क. (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/-रुपये) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में छह वर्षों की सेवा सहित या समकक्ष; अथवा (iii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/-रुपये) में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरांत प्रदान की गई ग्रेड में दस वर्षों की सेवा सहित अथवा समकक्ष; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले:— टीप : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह,
--	--	---

			प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि में केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	पदोन्नति के विचारार्थ श्रेणी 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति 1. सदस्य (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी)— सदस्य 3. मुख्य अभियन्ता (सिविल) — सदस्य श्रेणी 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन)—अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी)— सदस्य 3. मुख्य अभियन्ता (सिविल) — सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

पुनीत कुमार पटेल, अपर सचिव (श0वि0)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

F. No. 16(512)/UD/W/2025/679.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) in suppression of Notification No. 16 (512)/UD/W/2015/1159-1160 dated 11/07/2016 published in Official Gazette except as respects things done or omitted to be done before such supersession for regulating the method of recruitment to the post of Draftsman Grade-II in the Delhi Water Board, are hereby published, namely: -

- Short title and commencement:** - (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board 'Draftsman Grade-II' Recruitment Regulations, 2025.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and level in the Pay matrix:** The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications:** - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification:** — No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to relax the provisions:** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:** - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the Post	Draftsman Grade-II
2.	Number of Post.	79*(2026) subject to variation dependent on workload
3.	Classification	Category 'B'
4.	Level in the Pay Matrix.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the Pay Matrix.
5.	Whether selection or non- selection post.	selection
6.	Age limit for direct recruits.	Not exceeding 30 years. Note:1- Relaxable for government servants and employees of Delhi Jal Board up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the central government. Note 2:- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board / Competent Authority.
7.	Educational & other qualification required for direct recruits.	Essential:- (a) (1) Diploma in architectural assistantship from a recognized university / institute, and or (ii) one year's post qualification experience in preparation of drawing, maps, estimates and in auto cad from government (Central / States / UTs) / Statutory / Autonomous Organisation /PSUs/ Universities Recognised Research Institutes / listed private organisation. or (a)(1) 10th passed from a recognized school / board. (2) passed diploma in draftsman ship from a recognized board / institution. (3) two years post qualification experience in preparation of drawing, maps, estimates and in auto cad from Government (Central / States / UTs) / Statutory / Autonomous Organisation / PSUs/ Universities Recognised Research Institutes / Listed Private Organisation. Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, and the case of candidates otherwise well qualified. Note 2:- The qualifications regarding experience is / are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in

		writing in the case of candidates belonging to scheduled tribes if at any stage of selection, the competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	No
9.	Period of probation, if any.	Two years for direct recruits and promotees
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	1. 33% by promotion failing which by deputation. 2. 67% by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	<u>Promotion:</u> - Draftsman grade III in level-4 (Rs. 25500- 81100) of the Pay Matrix with 10 years regular service in the grade and have undergone one week training in the related field from Delhi Jal Board Training Institute. Note 1:- Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Note: - for the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016 the date from which the revised pay structure based on the 7th central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be corresponding pay / pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. <u>Deputation:</u> Officers under central / state governments / UTs (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 (Rs. 29200-92300) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre / department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level -4 (Rs. 25500-81100) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre /department; and b) possessing the following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

		Note:- The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (period of deputation (istc) including period of deputation (istc) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organization / department of the central government shall ordinarily not to exceed three years. the maximum age limit for appointment by deputation (istc) shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
12.	If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	<u>Category 'B' DPC for considering promotion.</u> 1). Member (Admn.) --Chairman 2). Director (A&P) --Member 3. Chief Engineer (Civil) – Member <u>Category 'B' Departmental Conformation Committee (for considering conformation/).</u> 1). Member (Admn.) --chairman 2. Director (A&P) --member 3. Chief Engineer (Civil) – Member
13.	Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

PUNEET KUMAR PATEL, Addl. Secy. (U.D.)